न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 30 / 2020 (2020 / 00056) दर्ज दिनांक 18.02.2020
वाद– अन्तर्गत धारा –88 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

गोहनसिंह पिता श्रीलाल टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. धीरजसिंह पिता सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) **(कोई दाद नहीं चाही गई)**
2. पवनसिंह पिता सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. सावित्री देवी पुत्री सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. कविता देवी पुत्री सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5. मनोज देवी पुत्री सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6. सुशीला देवी पत्नी सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) **(प्रा0पत्र 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से नाम डिलीट किया जाता है।)**
7. प्रेमसिंह पिता श्रीलाल टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) **(प्रा0पत्र 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से नाम डिलीट किया जाता है।)**
8. लालसिंह पिता श्रीलाल टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
9. मदनसिंह पिता श्रीलाल टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
10. हरकू देवी पत्नि श्रीलाल टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादी:– श्री स[illegible] पारीक
अधिवक्ता प्रतिवादी:– श्रीमती [illegible] गोस्वामी (प्रति0 सं0 2 लगायत 8 लगायत 10)
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41.18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

14/6/2021 [illegible]
88 RTA [illegible]

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या:– 30 / 2020 (2020 / 00056)
वाद– अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0 एक्ट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 14.06.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत वाद बाबत् 88 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कोशीथल के पुराना खाता संख्या 955, 956, 1011 पर साबिक आराजियात माफिक रेकार्ड हिस्से से श्रीलाल पिता बख्तावर राजपूत (टांक) के नाम दर्ज रेकार्ड थी। श्रीलाल की मृत्यु उपरान्त नामान्तरण संख्या 272 से उपरोक्त साबित आराजियात श्रीलाल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 10 के नाम दर्ज हुई। वादी श्रीलाल का जायन्दा पुत्र होकर उपरोक्त भूमियों पर अपने हक अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है परन्तु नामान्तरण संख्या 272 में पटवारी हल्का द्वारा सेवन से मोहनसिंह पिता श्रीलाल के बजाय मनोहरसिंह अंकन हो गया वर्तमान खाता संख्या 571 संवत् 2071 से 2074 में भी उक्त अंकन ही है। प्रमाण में जमाबंदी, मिलान क्षैत्रफल, साबिक नकल, नामान्तरण पेश है।

यह कि वादी का वास्तविक नाम मोहनसिंह है तथा वादी के सभी दस्तावेजात शैक्षणिक, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में मोहनसिह नाम ही अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें मनोहरसिह, मोहनसिंह एक ही व्यक्ति होना बताया है। केवल मात्र वक्त नामान्तरण मोहनसिंह के बजाय मनोहरसिह अंकित हो जाने से राजस्व रेकार्ड में मनोहरसिंह नाम दर्ज चला आ रहा है। प्रमाण में दस्तावेज की फोटो प्रतियां पेश हैं।

यह कि वादी का वास्तविक नाम मोहनसिंह पिता श्रीलाल टांक है परन्तु नामान्तरण दर्ज करते समय सेवन से मोहनसिंह के बजाय मनोहरसिंह अंकित कर दिया है, जिसे दुरस्त करने की घोषणा कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। जिससे वादी राजस्व रेकार्ड में मनोहरसिंह पिता श्रीलाल टांक के बजाय मोहनसिंह पिता श्रीलाल टांक दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी संख्या 11 लेण्ड होल्डर होने से उनको भी पक्षकार बनाया गया हैं

अतः सादर प्रार्थना हैं कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादर फरवाई जावे कि ग्राम कोशीथल के राजस्व रेकार्ड में मनोहरसिंह पिता श्रीलाल टांक के बजाय मोहनसिंह पिता श्रीलाल टांक दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 18.02.2020 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
... जिला भीलवाड़ा (राज.)

2.

14/6/2021 निर्णय पेश। अनुसार आदेश वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA का स्वीकार किया जाता है। ...

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 व 8 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जवाब नहीं देने से जवाबदेही बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 01 सहखातेदार होने से वादी के अधिवक्ता द्वारा उसकी ओर से कोई दाद नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी का स्वीकार होने से प्रतिवादी संख्या 06 व 07 का नाम डिलीट किया जाता है। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि – वाद की बिन्दु संख्या 1 को राजस्व रेकार्ड अनुसार आंशिक स्वीकार है शेष वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 2 वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दु संख्या 3 से 10 न्यायिक है। श्रीलाल पिता बख्तावर टांक का विरासती नामान्तरकरण संख्या 272 निर्णय दिनांक 25.05.1990 ग्राम पंचायत कोशीथल द्वारा पंचायत की कोरम में निर्णित किया गया , जिसमें वादी का नाम मनोहरसिंह ही अंकित किया है। अतः प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

वादी अधिवक्ता अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों एवं पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार वादीगण का वाद बाबत घोषणा यह न्यायालय वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादी का नाम राजस्व ग्राम कोशीथल के राजस्व रेकार्ड में मनोहरसिंह पिता श्रीलाल टांक के बजाय मोहनसिंह पिता श्रीलाल टांक अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
14/06/2021

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 30 / 2020 (2020 / 00056) दर्ज दिनांक 18.02.2020
वाद– अन्तर्गत धारा –88 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

मोहनसिंह पिता श्रीलाल टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. धीरजसिंह पिता सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) (कोई दाद नहीं चाही गई)
2. पवनसिंह पिता सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. सावित्री देवी पुत्री सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. कविता देवी पुत्री सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5. मनोज देवी पुत्री सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6. सुशीला देवी पत्नी सज्जनसिंह टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) (प्रा0पत्र 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से नाम डिलीट किया जाता है।)
7. प्रेमसिंह पिता श्रीलाल टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) (प्रा0पत्र 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने से नाम डिलीट किया जाता है।)
8. लालसिंह पिता श्रीलाल टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
9. मदनसिंह पिता श्रीलाल टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
10. हरकू देवी पत्नि श्रीलाल टांक (राजपूत) निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:18 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति अधिवक्ता वादी– श्री [illegible] पारीक
अधिवक्ता प्रतिवादी– श्रीमती [illegible]पुरी गोस्वामी (प्रति0 सं0 2 लग[illegible]त 5 व 8 लगायत 10)
पेरोकार सरकार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

1.

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः— 30/2020 (2020/00056)
वाद— अन्तर्गत धारा —88 आर0टी0एक्ट

डिक्री दिनांक 14.06.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पारीक , प्रतिवादी अधिवक्ता श्रीमती विद्यापुरी गोस्वामी एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 14.06.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती हैं कि ———×——— और इस वाद के खर्च लेखे ———×——— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ———×——— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ———×——— द्वारा ———×——— को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादी का नाम राजस्व ग्राम कोशीथल के राजस्व रेकार्ड में मनोहरसिंह पिता श्रीलाल टांक के बजाय मोहनसिंह पिता श्रीलाल टांक अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना — अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

डिकी आज दिनांक 14.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:41:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner